पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 352/11

अनवान :

1. जितेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गांव बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र भोजाराम जाट निवासी बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुमन पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
3. कौशल्या पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
4. भारतीय स्टेट बैंक छानीबड़ी जरिये प्रबन्धक छानीबड़ी तहसील भादरा।
5. हवासिंह पुत्र भोजाराम जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
6. कन्हैयालाल पुत्र भोजाराम जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
7. रामीदेवी पत्नी गुलजारी जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
8. सनिल पुत्र गुलजारी जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
9. हरिप्रकाश पुत्र गुलजारी जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
10. शान्ति पुत्री गुलजारी जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
11. तहसीलदार राजस्व (लैण्ड होल्डर) भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी व वकील प्रतिवादी सं0 1 से 3 श्री कृष्ण गर्ग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 1 एएमएस के खाता सं0 83/68 के मु0नं0 26 के किला नं0 6 की 0.253 है0 किला नं0 12 ता 16 की 1.265 है0 कुल 1.518 है0 (नहरी 1.443 है0, खाला 0.075 है0) कृषि भूमि स्थित है एवं चक 4 एएमएस के खाता सं0 95/86 के मु0नं0 34 के किला नं0 4 की 0.240 है0 किला नं0 5 की 0.228 है0 किला नं0 6 की 0.240 है0 किला नं0 7 की 0.253 है0 किला नं0 14 ता 17 की 1.012 है0 किला नं0 25 की 0.253 है0 कुल 2.226 है0 नहरी कृषि भूमि स्थित है। इसी प्रकार चक 6 एएमएस के खाता सं0 124/106 के मु0नं0 39 के किला नं0 9 ता 12 की 1.012 है0 किला नं0 19 ता 21 की 0.759 है0 मु0नं0 42 के किला नं0 1 की 0.253 है0 किला नं0 10 व 11 की 0.506 है0 किला नं0 12/2 की 0.126 है0 किला नं0 20 व 21 की 0.506 है0 कुल 3.162 है0 (नहरी 3.137 है0 खाला 0.025 है0) कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है का वादी तन्हा खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1, 2 व 3 ने विवादित कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश का नाम कलमज़न कर उसके स्थान पर वादी को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.11.17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 352/11

अनवान :

1. जितेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गांव बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र भोजाराम जाट निवासी बीराण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सुमन पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
3. कौशल्या पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
4. भारतीय स्टेट बैंक छानीबड़ी जरिये प्रबन्धक छानीबड़ी तहसील भादरा।
5. हवासिंह पुत्र भोजाराम जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
6. कन्हैयालाल पुत्र भोजाराम जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
7. रामीदेवी पत्नी गुलजारी जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
8. सनिल पुत्र गुलजारी जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
9. हरिप्रकाश पुत्र गुलजारी जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
10. शान्ति पुत्री गुलजारी जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।
11. तहसीलदार राजस्व (लैण्ड होल्डर) भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्त.अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: वादी**
वकील श्री कृष्ण गर्ग **: प्रतिवादी सं0 1 से 3**

निर्णय **दिनांक :** 27.11.17

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 एएमएस के खाता सं0 83/68 के मु0नं0 26 के किला नं0 6 की 0.253 है0 किला नं0 12 ता 16 की 1.265 है0 कुल 1.518 है0 (नहरी 1.443 है0, खाला 0.075 है0) कृषि भूमि स्थित है एवं चक 4 एएमएस के खाता सं0 95/86 के मु0नं0 34 के किला नं0 4 की 0.240 है0 किला नं0 5 की 0.228 है0 किला नं0 6 की 0.240 है0 किला नं0 7 की 0.253 है0 किला नं0 14 ता 17 की 1.012 है0 किला नं0 25 की 0.253 है0 कुल 2.226 है0 नहरी कृषि भूमि स्थित है। इसी प्रकार चक 6 एएमएस के खाता सं0 124/106 के मु0नं0 39 के किला नं0 9 ता 12 की 1.012 है0 किला नं0 19 ता 21 की 0.759 है0 मु0नं0 42 के किला नं0 1 की 0.253 है0 किला नं0 10 व 11 की 0.506 है0 किला नं0 12/2 की 0.126 है0 किला नं0 20 व 21 की 0.506 है0 कुल 3.162 है0 (नहरी 3.137 है0 खाला 0.025 है0) कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (हनुमानगढ़)

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है हिन्दू विधि की मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के दादा भोजाराम की खातेदारी हुआ करती थी। भोजाराम की फोतगी के उपरान्त वादभूमि में 1/4 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादी ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई। लेकिन वादी के नाबालिग होने का नाजायज फायदा उठाते हुये प्रतिवादी ने वादभूमि में कुल 1/4 हिस्सा तन्हा अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवा लिया। जबकि वादभूमि के सम्बन्ध में वादी एंव प्रतिवादी के मध्य काल्पनिक/National partition बंटवारा भी हो गया था जिसमें भी उक्त 1/4 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी ओमप्रकाश को बराबर बराबर अनुपात में प्राप्त हुई। उक्त वादभूमि तन्हा प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया एवं प्रतिवादी सं0 4 ता 11 को वकील वादी ने तर्क किया।

बहस वकील वादी सुनी गई दौराने बहस वकील वादी ने अपने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जो पूर्व में वादी के दादा भोजाराम की खातेदारी हुआ करती थी। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 1 एएमएस, चक 4 एएमएस व चक 6 एएमएस में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद भूमि को दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि के लिए वादी ने चित्रप्रति जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम 1 अमरसिंह सम्वत् 2016 प्रदर्श 4, चित्रप्रति जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम 6 अमरसिंह सम्वत् 2016 प्रदर्श 5 व चित्रप्रति नामान्तरकरण रजिस्टर चक 4 एएमएस प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाई है जिनमें वाद भूमि वादी के दादा भोजाराम वल्द सवाईराम के नाम से दर्ज रिकार्ड है जिससे वाद भूमि दादालाई पुश्तैनी कृषि भूमि होना साबित है एवं वादीव प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो चुका है। इस प्रकार वादी के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं वादी ने जो सदस्यता प्रमाण पत्र पेश किया है उसमें ओमप्रकाश के वारिसान में कौशल्या पत्नि, पुत्री सुमन व पुत्र जितेन्द्र अंकित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 1 एएमएस के खाता सं0 83/68 के मु0नं0 26 के किला नं0 6 की 0.253 है0 किला नं0 12 ता 16 की 1.265 है0 कुल 1.518 है0 (नहरी 1.443 है0, खाला 0.075 है0) कृषि भूमि स्थित है एवं चक 4 एएमएस के खाता सं0 95/86 के मु0नं0 34 के किला नं0 4 की 0.240 है0 किला नं0 5 की 0.228 है0 किला नं0 6 की 0.240 है0 किला नं0 7 की 0.253 है0 किला नं0 14 ता 17 की 1.012 है0 किला नं0 25 की 0.253 है0 कुल 2.226 है0 नहरी कृषि भूमि स्थित है। इसी प्रकार चक 6 एएमएस के खाता सं0 124/106 के मु0नं0 39 के किला नं0 9 ता 12 की 1. 012 है0 किला नं0 19 ता 21 की 0.759 है0 मु0नं0 42 के किला नं0 1 की 0.253 है0 किला नं0 10 व 11 की 0.506 है0 किला नं0 12/2 की 0.126 है0 किला नं0 20 व 21 की 0.506 है0 कुल 3.162 है0 (नहरी 3.137 है0 खाला 0.025 है0) कृषि भूमि स्थित

है जिसमें प्रतिवादी ओमप्रकाश के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है का वादी तन्हा खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1, 2 व 3 ने विवादित कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादी को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़